रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112020-223409
CG-DL-E-28112020-223409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3763] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/अग्रहायण 6, 1942
No. 3763] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

का.आ. 4268(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 174(अ), तारीख 10 जनवरी, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 10 जनवरी, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

और, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व (एम एच टी आर) का गठन 2013 में किया गया था, जिसमें मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दारा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य (गरदिया महादेव से जवाहर सागर बांध तक) का क्षेत्र सम्मिलित है, जो कि राजस्थान राज्य में मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र का गठन करता है;

और, टाइगर रिज़र्व 759.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और राजस्थान राज्य में कोटा जिला के लाडपुरा, संगोद, रामगंजमंडी तहसील, झालावर जिला के झालरपटन तहसील, बूंदी जिला के तलेरा तहसील और चित्तौड़गढ़ जिला के रावतभाटा तहसील में स्थित है। जवाहर सागर अभयारण्य उत्तर अक्षांश 24⁰-56' से 25⁰ 7.5' और पूर्व देशांतर 75⁰ 26.50' से 75⁰ 41' के बीच स्थित है। यह रावतभाटा से 35 किलोमीटर और बूंदी से 75 किलोमीटर में स्थित है और यह राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(5) (13) आरईवी. 18/73 दिनांक 9 अक्टूबर, 1975 को अभयारण्य के रुप में घोषित किया गया था;

और, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व का नाम संकीर्ण केंद्रीय रेंज के साथ दो निरंतर समतल टॉप और प्रायः समानांतर पहाड़ियों के साथ रखा गया है, जो विंध्य रेंज प्रणाली का भाग है, जो चंबल नदी से कलीसिंध तक फैली हुई है और लगभग 80 किलोमीटर लंबाई में और 2 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई में है;

और, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व न केवल दृश्य सुंदरता और जैव विविधता से समृद्ध है, बल्कि रणथंभौर से कम से कम दो संभाव्य गलियारे हैं - एक इंद्रगढ़ के माध्यम से - लखेरी - रामगढ़ विशधारी अभयारण्य- दाबी- जवाहर सागर अभयारण्य और अन्य चंबल और कालीसिंध से दारा के दर्रों के माध्यम है। हालाँकि, इस समृद्ध प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों को सुरक्षित मार्ग/गलियारा प्रदान करने और क्षेत्र में बाघों को फिर से लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए इसे विशेष विधि संरक्षण दिया गया है जो इसे टाइगर रिज़र्व के रूप घोषित करके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा 38 (V) के अधीन उपलब्ध है;

और, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व (एमएचटीआर) घने वन (कैनोपी का घनत्व 0.6 से 0.7) से युक्त है और ढोक और खैर प्रमुख प्रजातियाँ हैं। यहां शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म की कई प्रजातियां उपलब्ध हैं। यह आर्किड और ट्यूबोरस् पौधों में भी समृद्ध है। घाटी और धाराएं औषधीय पौधों की कई प्रजातियों का वास है। एथनो औषधीय दृष्टिकोण से उनमें से बड़ी संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। संरक्षित क्षेत्र में मुख्य वनस्पति प्रजातियां हिंगोट (*बालानाइट्स एजिप्टिका*), खखारो (*ब्यूटिया मोनोसपर्मा*), खजूर (*फोनिक्स सिल्वेस्ट्रीस*), विलायति बबुल (*प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा*), खैर (*अकेशिया कैटेचु*), धवड़ा (*एनोगाइसिस लेटिफोलिया*), कलम (*मित्रागिनपर्विफ्लोरा*), अर्दुसा (*अडाटोडा वासिका*), लिसोडा (*कॉर्डिया मायक्सा*), कडाया (*स्टर्कुलिया यूरेन्स*), आदि उपलब्ध हैं;

और, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व किसी समय भारतीय राष्ट्रीय पशु और फ्लैगशिप प्रजाति टाइगर का बहुत ही अच्छा वास था। टाइगर रिज़र्व दुर्लभ और लुप्तप्राय जीवजंतु जैसे रीछ (*मेलार्सस यूर्सिनस*), सांभर (*करवस यूनिकोलर*), रतेल (*मालीवोरा कैपेन्सिस*), सामान्य लंगूर (*प्रेस्बिटिस एंटेलस*), जंगली सूअर (*सुस स्क्रोफा*), पैंथर (*पेंथेरा पार्डस*), ब्लू बुल (*बोसेलाफस ट्रागोकैमेलस*), सियार (*कैनिस ओरेस*), धारीदार लकड़बग्गा (*हाइना हाइना*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), भारतीय साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), मॉनिटर छिपकली (*वारनस बेंगालेंसिस*), पायथन (*पायथॉन मोलर्सस*), रैट स्नेक (*पाइटस म्यूकोसस*), रसेल वाइपर (*वाइपर रसेली*), भारतीय कोबरा (*नाज़ा नाज़ा*), आदि को संरक्षण प्रदान करता है;

और, संरक्षित क्षेत्रों से मुख्य पक्षी जीव लिटिल ग्रेबे (*टेकीबैप्टस रूफिकोलिस*), ग्रेट कॉर्मोरेंट (*फेलाक्रोकैरेक्स कार्बो*), सामान्य किंगफिशर (*एलेडेसो एथिस*), रेड वॉटल्ड लैपविंग (*वनीलस इंडिकस*), रॉक कबूतर (*कोलंबा लिविया*), रोज रिंग्ड पैराकेट (*सिटिटाकुला युपैट्रीया*), प्लम हेडेड पैराकेट (*सिटाकुला सायनोसेफाला*), रूफस ट्रीपी (*डेंड्रोकिट्टा वेजुबुन्डा*), ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन (*कोप्सिकस सैलारिस*), सामान्य बब्बलर (*टर्बाइडस क्युडाटस*), छोटा इग्रेट (*इग्रेटा गार्जेटा*), आदि, अभिलिखित किये गये हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र में महत्वपूर्ण दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां *एमोफोरलस पेओनिफोलियस, एनोगाइसिस सेरिसिया, बाउहिनिया वाहली, ट्रिबुलस राजस्थानिसिस, एनोगेइसस लैटिफोलिया, कोनीफोरा वाइटी, अकेशिया कैटेचु, अकेशिया ल्यूकोफोलिया, भेड़िया, लोमड़ी* और *पायथन* उपलब्ध हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल भी हैं जैसे कि गरगोन किला जो एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, अबली मीनिका महल, रौंथा महल, मंदिरों का बदोली समूह आदि। कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ स्थल हैं गर्दिया महादेव, गपेरनाथ, अंबरानी माताजी, नाहर सिंह माताजी आदि। चंबल की सुंदर घाटियां और अद्वितीय भू-दृश्य टाइगर रिजर्व का भाग है। मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व कलीसिंध, आहु, अमझर, इरु, ब्राह्मणी और चंबल जैसी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। लक्ष्मीपुरतालई, बेवडातलाई, कडपकखल और चंबल नदी जैसे जल निकाय प्रवासी पक्षियों को बहुत आकर्षित करते हैं। हालाँकि, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व पर्यटकों को एक काल्पनिक आकर्षण प्रदान करता है। यह पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने की अच्छी सुविधा है जो रिज़र्व में बाघों को लाए जाने के साथ बढ़ेगा;

और, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिसूचना कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में कोटा, झालावर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिला मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-**(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 248.70 वर्ग किलोमीटर है। राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के शून्य विस्तार को उचित ठहराया गया है *मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्र के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन सह-समाप्ति के कारण है*। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:

दिशा	विस्तार (किलोमीटर में)
उत्तर	1.00
उत्तर-पूर्व	0 से 1.00
पूर्व	0
दक्षिण-पूर्व	0 से 1.00
दक्षिण	0 से 1.00
दक्षिण-पश्चिम	0
पश्चिम	1.00
उत्तर-पश्चिम	1.00

(2) मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रुप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए मुकन्दरा हिल्स

टाइगर रिज़र्व के मानचित्र **उपाबंध–IIक, उपाबंध–IIख, उपाबंध–IIग** और **उपाबंध–IIघ** के रुप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत गृहवास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्वार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतो (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.–** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित है तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**वर्णन** **(3)**
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण

		के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिस्र्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई

		हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा ।

	मछली पालन ।	
22.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	सिवाय स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधि के अनुसार (सिवाय अन्यथा उपबंधित) विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक सूचना पट्ट और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.स.	मानीटरी समिति का गठन	पदनाम
(i)	जिला कलेक्टर, कोटा	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	उप प्रभागीय अधिकारी, कोटा	सदस्य;
(iii)	उप प्रभागीय अधिकारी, रामगंजमंडी	सदस्य;
(iv)	उप प्रभागीय अधिकारी, झालावर	सदस्य;
(v)	उप प्रभागीय अधिकारी, बूंदी	सदस्य;
(vi)	उप प्रभागीय अधिकारी, रावतभाटा	सदस्य;
(vii)	माननीय वन्यजीव वार्डन, कोटा	सदस्य;
(viii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(x)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(xi)	प्रधान पंचायत समिति लाडपुरा, भैसरोरगढ़, झालरापाटन, तालेरा, खेराबाद (संबंधित क्षेत्र के लिए)	सदस्य;
(xii)	उप वन संरक्षक, मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके **पैराग्राफ 4** के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/01/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

राजस्थान राज्य में मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	• बरद कालाजी किशोर सागर खण्ड सीमा के वन खण्ड की उत्तरी बाहरी सीमा, कनवास श्रेणी कार्यालय है इसके बाद दारा कनवास सड़क के कनवास त्रिजंक्शन है। • दोलिया वन खण्ड की कम्पार्टमेंट संख्या 57 के टाइगर रिज़र्व के कोर की सीमा के साथ 1 किलोमीटर की चौड़ाई में कनवास त्रिजंक्शन से जाती है। • दोलिया खण्ड के कम्पार्टमेंट संख्या 57 की बाहरी सीमा से कम्पार्टमेंट संख्या 58, 59, 51, 37 , 35, 33, 32, 31, 43, 48 एवं 46 की बाहरी सीमा तक, जिसमें टाइगर रिज़र्व की बफर सीमा में कम्पार्टमेंट संख्या 31 से 35, 37 से 43, 46 से 51, 57 से 60 और 69 शामिल है। • कम्पार्टमेंट संख्या 46 से ग्राम चंद बौरी की बाहरी सीमा से एक किलोमीटर की चौड़ाई में, जो कि टाइगर रिज़र्व का कोर क्षेत्र है। • 34, 30, 29, 28, 16, 15, 13, 12, 17, 18, 21 की बाहरी सीमा के साथ फूटा वन खण्ड की कम्पार्टमेंट संख्या 7, 12-22, 24-31 शामिल है जो कि टाइगर रिज़र्व का बफर क्षेत्र है। • फूटा वन खण्ड के कम्पार्टमेंट संख्या 21 की बाहरी सीमा से रदी दंड वन खण्ड के कम्पार्टमेंट संख्या 10, 15, 12, 11, 8, 7, 1 की बाहरी सीमा में शामिल कम्पार्टमेंट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16-22, तक जो कि 100 मीटर की चौड़ाई में चंद बौरी वन खण्ड से बोरावास वन खण्ड के कम्पार्टमेंट संख्या 1 के बोरावास ग्राम के वास से बोरावास ग्राम तक टाइगर रिज़र्व का बफर क्षेत्र है जो कि टाइगर रिज़र्व का कोर क्षेत्र है। • लोहडुंगरी वन खण्ड की बाहरी सीमा, जाती है जो कि कोटा सड़क से गेपरनाथ नाला के साथ टाइगर रिज़र्व का बफर क्षेत्र है के साथ जो कि टाइगर रिज़र्व के कोर और बफर क्षेत्र की सीमा का भाग है। • गरदिया महादेव के सामने से गेपरनाथ नाला तक 1 किलोमीटर की चौड़ाई में क्षेत्र, जो कि टाइगर रिज़र्व का कोर क्षेत्र है। • गरदिया महादेव में चंबल के सामने के तट से 1 किलोमीटर की चौड़ाई में जो कि अम्बारानी और

	गुदा राजपुरा वन खण्ड के राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य की सीमा भी है जो कि भुंजर (नौसेरा) घाटा के टाइगर रिज़र्व की सीमा है।
पूर्व	• मशलपुरा-बी वन खण्ड की कम्पार्टमेंट संख्या 57 एवं 56 की बाहरी सीमा के साथ कलीसिंध नदी के साथ अहु और कलीसिंध के जंक्शन बिंदु से एक किलोमीटर की चौड़ाई में जो कि टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। • राजपुरा ग्राम के राजस्व क्षेत्र, कलीसिंध नदी की बाहरी सीमा और कम्पार्टमेंट संख्या 41, 40, 39, 31, 30, 29, 12, 11, 10, 9, 8, 4, 2, 1 की बाहरी सीमा सहित जो कि मशलपुरा-बी वन खण्ड की बाहरी सीमा भी है और मशलपुरा-ए की कम्पार्टमेंट संख्या 1 की बाहरी सीमा के टाइगर रिज़र्व का बफर क्षेत्र है।
दक्षिण	• ब्राह्मनी नदी से जो जवाहर सागर अभयारण्य की सीमा बनाती है से और दूसरी पर भैंसरोदगढ़ अभयारण्य के कारण 0 किलोमीटर की चौड़ाई में राणा प्रताप सागर बांध के चंबल नदी के जंक्शन के टाइगर रिज़र्व तक । • कैनाल से रावत भाटा बैरियर चौराहा से सड़क से बोरावास तक राणा प्रताप सागर बांध के साथ सड़क समानान्तर से 0 किलोमीटर की चौड़ाई में बदोली ग्राम तक जो कि जवाहर सागर अभयारण्य की सीमा है। • बोरावास से कनिया तालाब वन खण्ड की सीमा के साथ सड़क के दाए भाग से बदोली ग्राम से 1 किलोमीटर की चौड़ाई में । • कनिया तालाब के कम्पार्टमेंट संख्या 1 एवं 2 सहित कोर क्षेत्र के साथ 1 किलोमीटर की चौड़ाई में । • कनिया तालाब के कम्पार्टमेंट संख्या 5, 18, 17, 16, 15, 13, 10, 9 एवं 8 की बाहरी सीमा से जो कि मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व का बफर क्षेत्र बनाती है। • काला कोट वन खण्ड की सीमा से बुर्जवालीचौकी वन खण्ड की बाहरी सीमा के साथ 1 किलोमीटर की चौड़ाई में जो कि टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र की सीमा और कोटा एवं चित्तौड़गढ के बीच जिला सीमा भी है। • बुर्जवालीचौकी वन खण्ड से 1 किलोमीटर की चौड़ाई में घटोली वन खण्ड की बाहरी सीमा तक, मनोहरपुरा वन खण्ड से अमझर-ए वन खण्ड से तक। • अमझर नदी से कोटा-झालावर सड़क सहित अमझर-बी की बाहरी सीमा से 1 किलोमीटर की चौड़ाई में । • खीमच-बी की बाहरी सीमा और मशलपुरा-बी की बाहरी सीमा के साथ 1 किलोमीटर की चौड़ाई में जो कि टाइगर रिज़र्व का कोर क्षेत्र और अहु और कलीसिंध नदी के जंक्शन से अहु नदी के दर्राह अभयारण्य की सीमा है।
पश्चिम	• भुंजर (नौसेरा) घाटा से भुंजर खुर्द ग्राम लोतियाना तक 1 किलोमीटर की चौड़ाई में जो कि टाइगर रिज़र्व की सीमा है। • लोतियाना ग्राम से ब्राह्मनी नदी तक 0 किलोमीटर की चौड़ाई में जो कि टाइगर रिज़र्व का बफर क्षेत्र है।

उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व का अवस्थान मानचित्र

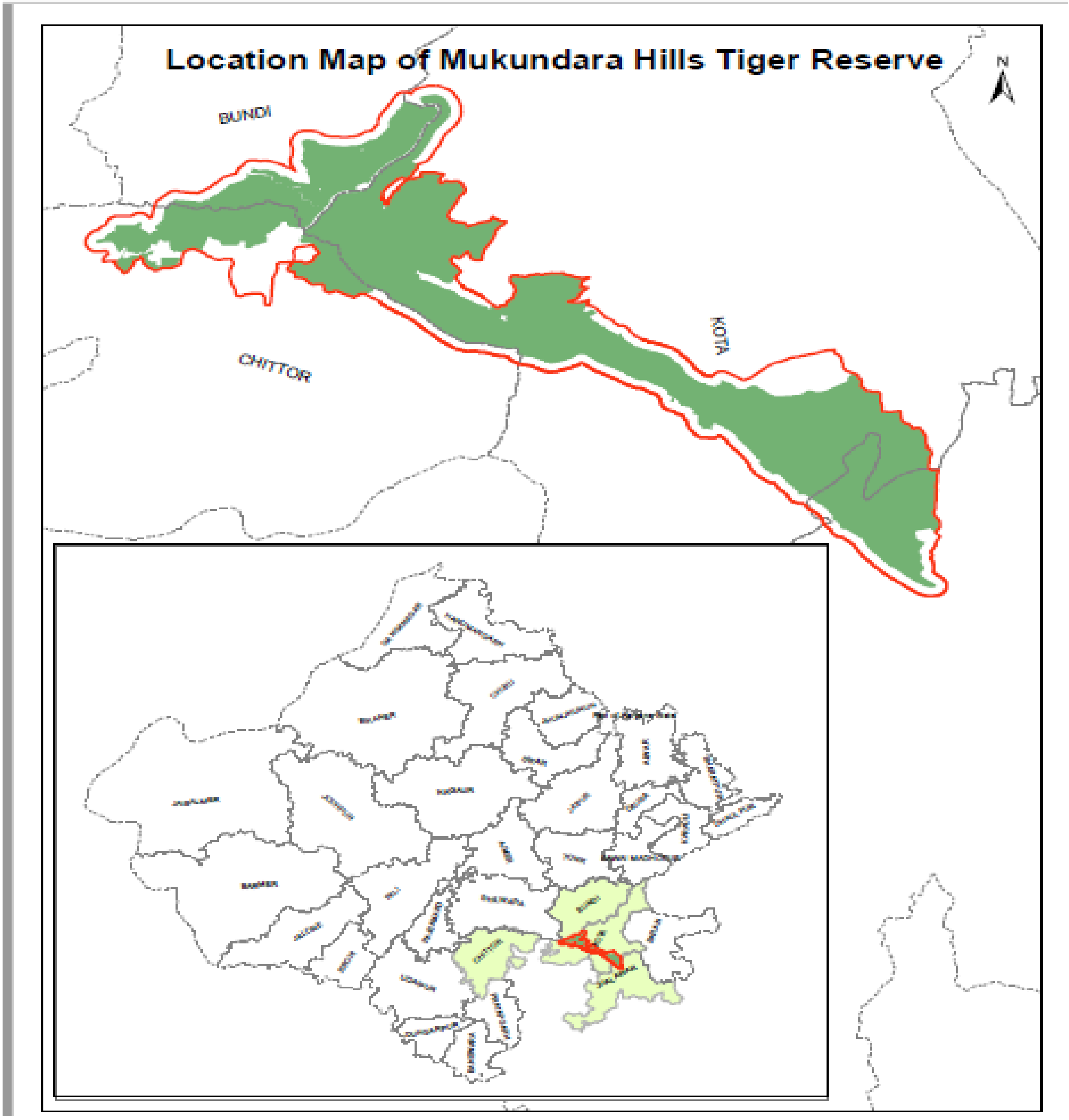

उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

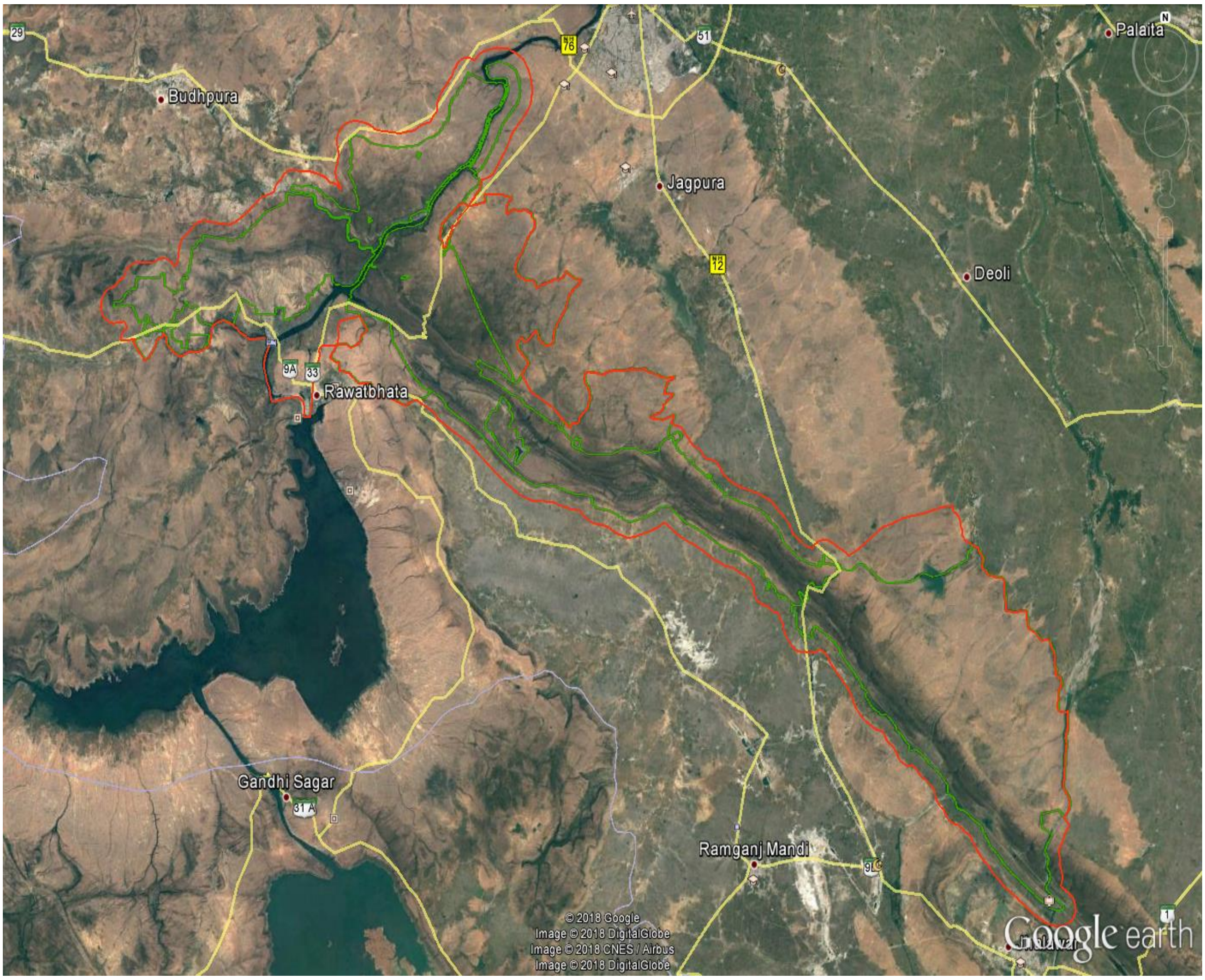

उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

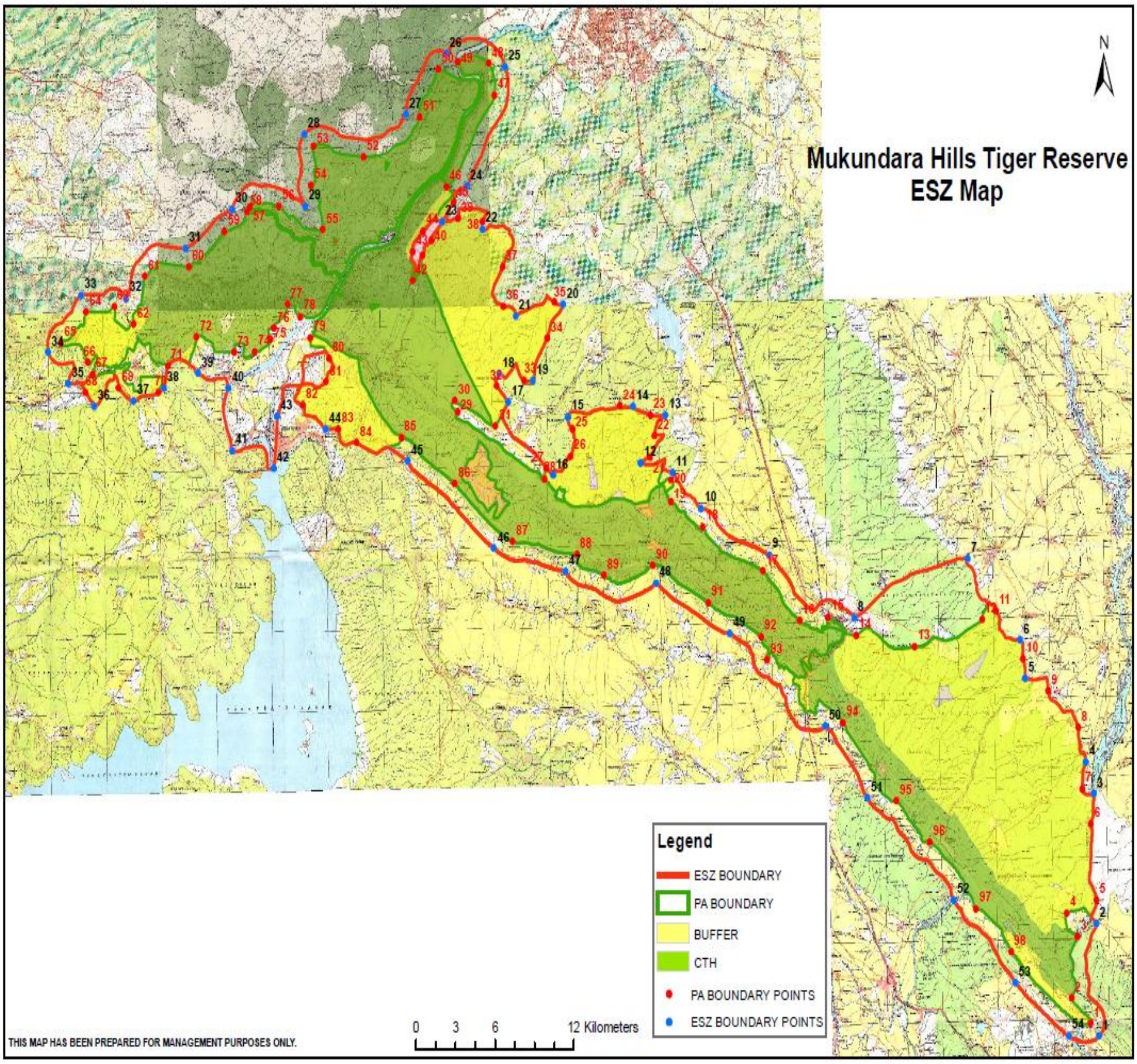

उपाबंध–IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

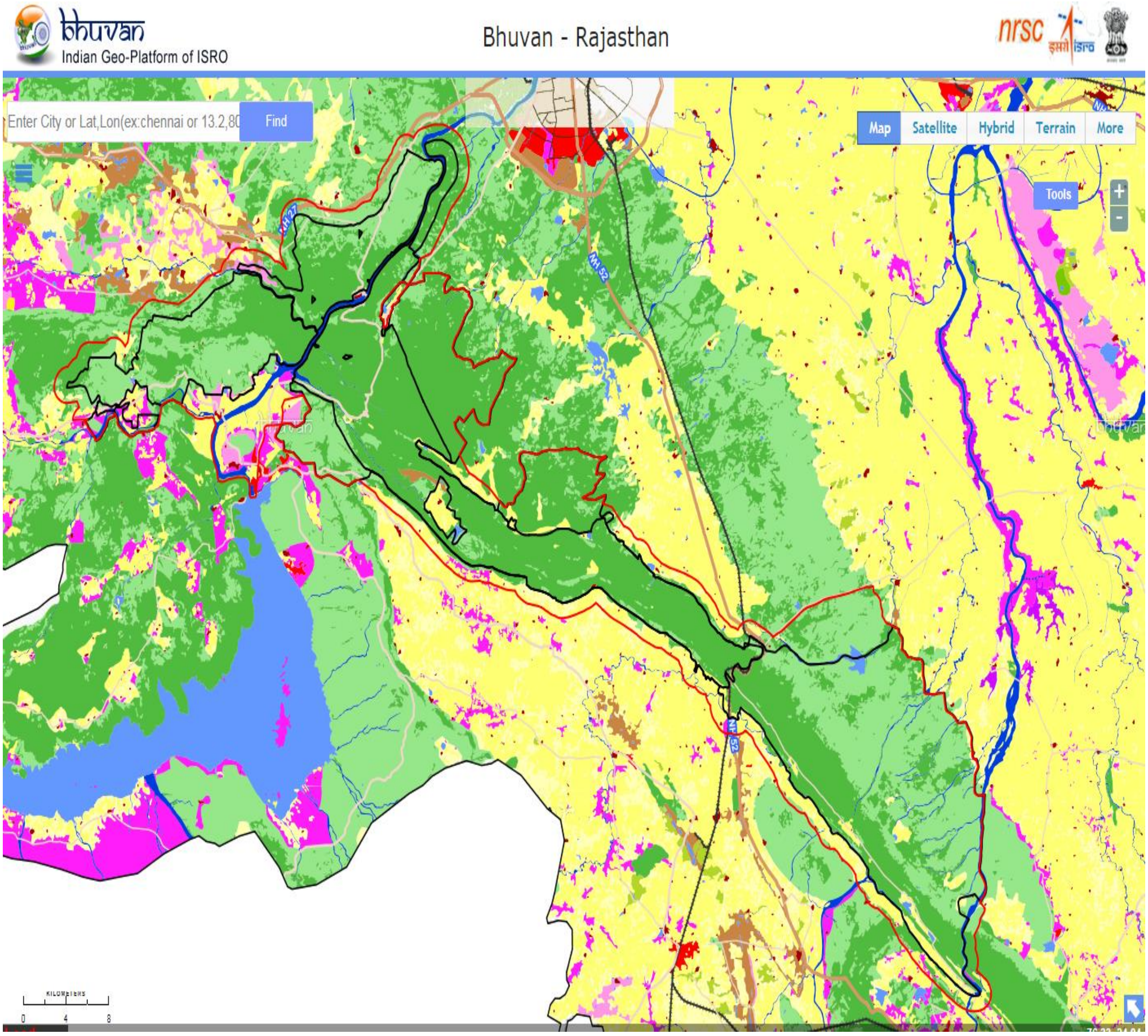

उपाबंध-III

सारणी क : मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1	76° 11' 37.718" पू	24° 37' 18.675" उ
2	76° 10' 48.130" पू	24° 38' 6.693" उ
3	76° 11' 6.840" पू	24° 40' 1.207" उ
4	76° 10' 38.654" पू	24° 40' 45.409" उ
5	76° 11' 59.415" पू	24° 41' 8.138" उ
6	76° 11' 24.910" पू	24° 44' 36.852" उ
7	76° 11' 16.531" पू	24° 46' 31.173" उ
8	76° 9' 56.269" पू	24° 47' 40.672" उ
9	76° 8' 48.810" पू	24° 48' 41.862" उ
10	76° 7' 36.582" पू	24° 50' 11.935" उ
11	76° 3' 55.880" पू	24° 49' 7.996" उ
12	76° 1' 18.457" पू	24° 49' 31.623" उ
13	76° 0' 3.661" पू	24° 50' 6.811" उ
14	75° 58' 45.818" पू	24° 50' 0.522" उ
15	75° 57' 8.765" पू	24° 51' 35.793" उ
16	75° 54' 27.515" पू	24° 53' 0.135" उ
17	75° 53' 2.681" पू	24° 54' 28.508" उ
18	75° 51' 37.832" पू	24° 55' 1.756" उ
19	75° 52' 8.867" पू	24° 56' 30.493" उ
20	75° 50' 46.653" पू	24° 56' 48.879" उ
21	75° 48' 37.382" पू	24° 56' 6.930" उ
22	75° 47' 25.120" पू	24° 54' 55.294" उ
23	75° 43' 20.732" पू	24° 57' 4.690" उ
24	75° 45' 9.797" पू	24° 56' 15.252" उ
25	75° 45' 14.180" पू	24° 57' 29.641" उ
26	75° 46' 27.796" पू	24° 57' 40.249" उ
27	75° 47' 32.188" पू	24° 58' 57.297" उ
28	75° 47' 52.983" पू	25° 0' 3.860" उ
29	75° 45' 33.960" पू	24° 59' 58.322" उ
30	75° 45' 33.156" पू	25° 1' 12.335" उ
31	75° 44' 39.008" पू	25° 2' 37.603" उ
32	75° 43' 34.537" पू	25° 2' 44.847" उ

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
33	75° 41' 28.391" पू	25° 0' 49.698" उ
34	75° 43' 3.517" पू	25° 3' 43.699" उ
35	75° 45' 16.620" पू	25° 6' 33.483" उ
36	75° 45' 1.518" पू	25° 7' 32.469" उ
37	75° 43' 38.339" पू	25° 7' 36.182" उ
38	75° 42' 45.296" पू	25° 7' 23.600" उ
39	75° 39' 20.003" पू	25° 4' 42.008" उ
40	75° 37' 4.800" पू	25° 5' 3.195" उ
41	75° 36' 57.627" पू	25° 3' 50.016" उ
42	75° 37' 27.735" पू	25° 2' 27.435" उ
43	75° 35' 29.519" पू	25° 3' 12.451" उ
44	75° 34' 10.757" पू	25° 3' 12.129" उ
45	75° 34' 1.844" पू	25° 3' 4.471" उ
46	75° 33' 1.402" पू	25° 2' 25.882" उ
47	75° 31' 23.170" पू	25° 1' 21.947" उ
48	75° 29' 23.885" पू	25° 1' 6.004" उ
49	75° 28' 52.934" पू	24° 59' 36.620" उ
50	75° 28' 0.745" पू	25° 0' 10.518" उ
51	75° 26' 44.065" पू	25° 0' 1.666" उ
52	75° 25' 34.897" पू	24° 59' 2.516" उ
53	75° 26' 46.899" पू	24° 58' 27.137" उ
54	75° 26' 40.084" पू	24° 57' 31.488" उ
55	75° 28' 10.120" पू	24° 57' 38.561" उ
56	75° 29' 57.637" पू	24° 57' 28.285" उ
57	75° 30' 23.451" पू	24° 58' 19.167" उ
58	75° 31' 42.952" पू	24° 59' 10.774" उ
59	75° 33' 23.894" पू	24° 58' 42.214" उ
60	75° 35' 3.571" पू	24° 59' 4.324" उ
61	75° 35' 49.811" पू	25° 0' 8.637" उ
62	75° 36' 24.492" पू	24° 59' 45.966" उ
63	75° 36' 50.523" पू	24° 59' 5.829" उ
64	75° 37' 41.312" पू	24° 58' 27.538" उ
65	75° 37' 32.543" पू	24° 57' 43.563" उ
66	75° 36' 28.643" पू	24° 57' 1.772" उ
67	75° 38' 52.959" पू	24° 55' 49.334" उ

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
68	75° 40' 54.251" पू	24° 55' 57.052" उ
69	75° 43' 17.878" पू	24° 54' 29.210" उ
70	75° 45' 52.466" पू	24° 52' 39.148" उ
71	75° 48' 45.627" पू	24° 52' 12.211" उ
72	75° 52' 11.405" पू	24° 51' 49.830" उ
73	75° 54' 40.542" पू	24° 50' 38.425" उ
74	75° 57' 17.783" पू	24° 48' 50.037" उ
75	76° 0' 40.650" पू	24° 46' 49.423" उ
76	76° 3' 1.763" पू	24° 44' 22.018" उ
77	76° 5' 59.694" पू	24° 41' 50.939" उ
78	76° 8' 6.738" पू	24° 39' 35.260" उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1	76° 12' 1.303" पू	24° 36' 54.185" उ
2	76° 11' 57.562" पू	24° 40' 24.116" उ
3	76° 11' 55.730" पू	24° 44' 27.268" उ
4	76° 11' 36.179" पू	24° 45' 26.774" उ
5	76° 8' 53.407" पू	24° 48' 4.796" उ
6	76° 8' 41.905" पू	24° 49' 16.365" उ
7	76° 6' 22.375" पू	24° 51' 51.167" उ
8	76° 1' 14.503" पू	24° 50' 4.806" उ
9	75° 57' 25.742" पू	24° 52' 4.366" उ
10	75° 54' 23.647" पू	24° 53' 33.696" उ
11	75° 53' 7.772" पू	24° 54' 41.751" उ
12	75° 51' 41.381" पू	24° 55' 1.029" उ
13	75° 52' 49.628" पू	24° 56' 29.831" उ
14	75° 51' 21.941" पू	24° 56' 47.661" उ
15	75° 48' 26.305" पू	24° 56' 29.902" उ
16	75° 47' 43.878" पू	24° 54' 42.135" उ
17	75° 45' 44.613" पू	24° 56' 59.627" उ
18	75° 45' 21.221" पू	24° 57' 53.618" उ
19	75° 46' 52.531" पू	24° 57' 39.139" उ
20	75° 48' 16.253" पू	24° 59' 59.688" उ

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
21	75° 46' 7.502" पू	24° 59' 40.052" उ
22	75° 44' 39.171" पू	25° 2' 22.405" उ
23	75° 42' 50.526" पू	25° 2' 38.502" उ
24	75° 43' 58.427" पू	25° 3' 43.748" उ
25	75° 45' 45.717" पू	25° 7' 25.582" उ
26	75° 43' 6.934" पू	25° 7' 51.656" उ
27	75° 41' 15.819" पू	25° 6' 0.346" उ
28	75° 36' 39.889" पू	25° 5' 26.475" उ
29	75° 36' 40.850" पू	25° 3' 11.878" उ
30	75° 33' 23.020" पू	25° 3' 7.359" उ
31	75° 31' 14.552" पू	25° 1' 55.908" उ
32	75° 28' 32.597" पू	25° 0' 25.224" उ
33	75° 26' 30.799" पू	25° 0' 31.842" उ
34	75° 25' 0.503" पू	24° 58' 46.295" उ
35	75° 25' 54.273" पू	24° 57' 48.256" उ
36	75° 27' 4.289" पू	24° 57' 4.212" उ
37	75° 28' 51.017" पू	24° 57' 13.463" उ
38	75° 30' 12.968" पू	24° 57' 36.138" उ
39	75° 31' 45.763" पू	24° 58' 3.663" उ
40	75° 33' 7.151" पू	24° 57' 34.190" उ
41	75° 33' 16.132" पू	24° 55' 37.935" उ
42	75° 35' 8.395" पू	24° 55' 3.621" उ
43	75° 35' 18.458" पू	24° 56' 40.162" उ
44	75° 37' 29.974" पू	24° 56' 15.385" उ
45	75° 41' 10.781" पू	24° 55' 12.856" उ
46	75° 45' 1.831" पू	24° 52' 27.473" उ
47	75° 48' 14.830" पू	24° 51' 42.187" उ
48	75° 52' 18.898" पू	24° 51' 17.312" उ
49	75° 55' 37.001" पू	24° 49' 40.602" उ
50	75° 59' 52.919" पू	24° 46' 43.804" उ
51	76° 1' 43.965" पू	24° 44' 28.484" उ
52	76° 5' 33.607" पू	24° 41' 13.646" उ
53	76° 8' 17.748" पू	24° 38' 36.674" उ
54	76° 10' 39.892" पू	24° 36' 55.819" उ

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम के नाम	ग्राम के प्रकार*	तहसील/तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1.	रतकाकरा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ25°3'11.80"	पू 75°43'47.22"
2.	जामुनिया बाबडी	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ25°3'54.42"	पू 75°43'39.73"
3.	बोरावास	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ25°1'14.49"	पू 75°41'40.96"
4.	आखावा की कृषि भूमि	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ25°0'6.51"	पू 75°44'54.02"
5.	चान्द बाबडी	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°56'6.35"	पू 75°44'52.66"
6.	कोलीपुरा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°57'46.11"	पू 75°40'0.65"
7.	गिरधरपुरा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°54'46.90"	पू 75°44'29.27"
8.	दामोदरपुरा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°52'30.05"	पू 75°52'12.25"
9.	किशनपुरा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°53'9.70"	पू 75°46'59.71"
10.	नयागांव/जसपुरा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°54'10.33"	पू 75°48'10.68"
11.	केशवपुरा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°53'47.50"	पू 75°49'3972"
12.	मन्दरगढ़	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°53'34.42"	पू 75°51'38.52"
13.	मोहनपुरा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°53'44.66"	पू 75°53'37.56"
14.	रावठा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°52'26.18"	पू 75°53'23.54"
15.	हरीपुरा	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°52'23.25"	पू 75°55'50.65"
16.	कवरपुरा की कृषि भूमि	राजस्व	संगोद	कोटा	उ24°52'29.79"	पू 75°56'28.72"
17.	भवरिया डडवाडा की कृषि भूमि	राजस्व	संगोद	कोटा	उ24°52'24.27"	पू 75°56'55.23"
18.	कोथला	राजस्व	संगोद	कोटा	उ24°50'39.42"	पू 75°58'26.02"
19.	पदमपुरा	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°50'20.63"	पू 75°58'49.70"
20.	दरा स्टेशन	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°49'58.90"	पू 76°0'30.00"
21.	मोरुकला	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°49'30.46"	पू 76°1'8.62"
22.	अमझार	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°47'57.56"	पू 75°58'38.37"
23.	पीपलदा	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°46'54.04"	पू 75°58'35.57"
24.	मिनियाखेडी	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°48'13.06"	पू 75°57'0.35"
25.	भटवाडा	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°47'53.79"	पू 75°57'44.05"
26.	भटवाडा की ढाणी	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°48'9.35"	पू 75°57'34.86"
27.	झामरा	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°49'21.96"	पू 75°56'46.22"
28	नयागांव	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°49'24.08"	पू 75°56'6.13"
29	मनोहरपुरा	राजस्व	कनवास	कोटा	उ24°50'2.51"	पू 75°55'48.71"
30	बक्सपुरा	राजस्व	संगोद	कोटा	उ24°50'57.24"	पू 75°53'30.31"
31	घाटोली	राजस्व	संगोद	कोटा	उ24°51'47.22"	पू 75°52'10.86"
32	वालको	राजस्व	संगोद	कोटा	उ24°51'26.15"	पू 75°50'4.67"
33	रेल गेराबाद	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°56'40.73"	पू 7550'3.37"
34	कैलाशनगरी	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°44'41.73"	पू 7607'30.22"
35	धावद खुर्द	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°51'39.77"	पू 75°48'43.18"

क्र.सं.	ग्राम के नाम	ग्राम के प्रकार*	तहसील/तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
36	कोटडा	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°52'13.19"	पू 75°45'24.44"
37	करणपुरा	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°51'54.96"	पू 75°45'21.20"
38	धारडी	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°52'19.80"	पू 75°47'1.16"
39	बमोरी खुर्द	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°52'27.34"	पू 75°45'8.60"
40	भगवतपुरा	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°53'21.02"	पू 75°43'57.71"
41	नाई तलाई	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°53'48.84"	पू 75°43'29.52"
42	मालपुरा	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°53'32.25"	पू 75°44'4.47"
43	धनेश्वर	राजस्व	दाबी	बूंदी	उ25°3' 56.98"	पू 75°35'11.83"
44	खेरा	राजस्व	दाबी	बूंदी	उ25°3' 53.04"	पू 75°34'36.60"
45	गुधा	राजस्व	दाबी	बूंदी	उ25°3' 3.34"	पू 75°33'8.19"
46	भुंजर खुर्द	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ25°0' 2.35"	पू 75°28'34.35"
47	भुंजर कला	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ25°0' 51.30"	पू 75°28'31.83"
48	लोतियाना	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°57' 36.20"	पू 75°26'24.68"
49	रावतभाटा	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°56'6.39"	पू 75°35'18.57"
50	बदोलिया	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°57' 55.75"	पू 75°34'59.09"
51	नगनी	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°57'26.41"	पू 75°36'10.99"
52	जवारा खुर्द	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°58' 14.63"	पू 75°36'47.53"
53	गोलबाव	राजस्व	झालरापाटन	झालावर	उ24°49' 54.33"	पू 76°8'2.41"
54	फजलपुर कृषि भूमि	राजस्व	झालरापाटन	झालावर	उ24°37'23.75"	पू 76°10'16.34"
55	बेरखेरी कृषि भूमि	राजस्व	झालरापाटन	झालावर	उ24°36' 27.68"	पू 76°12'49.12"
56	नाजा कृषि भूमि	राजस्व	झालरापाटन	झालावर	उ24°38' 32.70"	पू 76°8'50.34"
57	धनवास कृषि भूमि	राजस्व	झालरापाटन	झालावर	उ24°39' 46.9"	पू 76°7'29.27"
58	खोखान्दा कृषि	राजस्व	झालरापाटन	झालावर	उ24°40' 34.99"	पू 76°6'3.39"
59	राजपुरा कृषि भूमि	राजस्व	झालरापाटन	झालावर	उ24°40' 49.72"	पू 76°11'23.14"
60	बादोदिया कृषि भूमि	राजस्व	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उ24°41' 19.97"	पू 76°5'12.44"
61	झालरा कृषि भूमि	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°42'2.71"	पू 76°4'47.43"
62	झिरी कृषि भूमि	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°42'35.73"	पू 76°4'7.65"
63	जमुनिया कृषि भूमि	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°43'12.92"	पू 76°3'28.50"
64	खरली बाव़डी कृषि भूमि	राजस्व	लाडपुरा	कोटा	उ24°43'47.67"	पू 76°2'54.47"
65	नयागांव कृषि भूमि	राजस्व	रामगंजमंडी	कोटा	उ24°44'24.61"	पू 76°1'56.12"
66	मनपुरा कृषि भूमि	राजस्व	रामगंजमंडी	कोटा	उ24°45'31.3"	पू 76°1'10.69"
67	धानी कृषि भूमि	राजस्व	रामगंजमंडी	कोटा	उ24°44'54.37"	पू 76°1'23.70"
68	कुकडा खुर्द कृषि भूमि	राजस्व	रामगंजमंडी	कोटा	उ24°46'38.63"	पू 75°59'49.93"
69	कमालपुरा कृषि भूमि	राजस्व	रामगंजमंडी	कोटा	उ24°46'57.68"	पू 75°59'7.17"
70	मिन्याखेडी कृषि भूमि	राजस्व	रामगंजमंडी	कोटा	उ24°48'13.06"	पू 75°57'0.35"
71	पिपलडा कृषि भूमि	राजस्व	रामगंजमंडी	कोटा	उ24°46'54.04"	पू 75°58'35.57"
72	अमझार कृषि भूमि	राजस्व	रामगंजमंडी	कोटा	उ24°47'57.56"	पू 75°58'38.37"

क्र.सं.	ग्राम के नाम	ग्राम के प्रकार*	तहसील/तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
73	कलिया कुई	राजस्व	संगोद	कोटा	उ24°49'32.41"	पू 76°02'24.33"
74	मोरुकलान	राजस्व	संगोद	कोटा	उ24°49'41.51"	पू 76°01'01.17"
75	मोरु खुर्द	राजस्व	संगोद	कोटा	उ24°50'12.39"	पू 76°01'23.64"

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2020

S.O. 4268(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 174 (E), dated the 10th January, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 10th January, 2020;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

AND WHEREAS, Mukundara Hills Tiger Reserve (MHTR) was constituted in the year 2013 which encompasses area of Mukundara Hills National Park, Dara Sanctuary, Jawahar Sagar Sanctuary and part of National Chambal Ghariyal Sanctuary (From Garadia Mahadev to Jawahar Sagar Dam) which constitutes the core area of Mukundara Hills Tiger Reserve in the State of Rajasthan;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is spread over an area of 759.99 square kilometres and situated in Tehsil Ladpura, Sangod, Ramganjmandi of district Kota, Tehsil Jhalarapatan of district Jhalawar, Tehsil Talera of district Bundi and Tehsil Rawatbhat of district Chittorgarh in the State of Rajasthan. Jawahar Sagar Sanctuary lies between 24^0-56' to 25^0 7.5’ North Latitude and 75^0 26.50’ to 75^0 41’, East Longitude. It is situated 35 kilometres from Rawatbhata and 75 kilometres from Bundi and was declared as a Sanctuary *vide* Government of Rajasthan notification no. F3(5) (13) Rev. 18/73 dated the 9th October, 1975;

AND WHEREAS, Mukundara Hills Tiger Reserve is named after the two continuous flat topped and almost parallel hills with the narrow central ridges, which are a part of Vindhyan Range system extending from river Chambal to Kalisindh and are approximately 80 kilometres in length and 2 to 5 kilometres in width;

AND WHEREAS, Mukandara hills tiger reserve is not only rich in scenic beauty and biodiversity, but also has at least two probable corridors from Ranthambhore–one through Indergarh - Lakheri - Ramgarh Vishdhari Sanctuary-Dabi – Jawahar Sagar Sanctuary and the other through the ravines of Chambal and Kalisindh to Dara. However, special efforts are required to conserve this rich natural heritage, to provide safe passage/corridor to the tigers of adjacent Ranthambhore Tiger Reserve and to reintroduce tigers in the area. Hence it has been given special legal protection as is available under section 38(V) of Wildlife Protection Act - 1972 by constituting it as a tiger reserve;

AND WHEREAS, Mukundara Hills Tiger Reserve (MHTR) comprises of fairly dense forest (canopy density 0.6 to 0.7) Dhok and Khair are the predominant species. Several species of algae, fungi, bryophytes, pteridophytes and angiosperms are available here. It is also rich in orchid and tuberous plants. Valley and streams are habitat of several species of medicinal plants. A large number of them are very vital from ethno medical view. Major flora species available in the Protected Area are hingot (*Balanites aegyptica),* khakhro (*Butea monosperma),* khajur (*Phoenix sylvestris),* vilayati babul (*Prosopis juliflora),* khair (*Acacia catechu),* dhavda (*Anogeissus latifolia),* kalam (*Mitragyna parviflora),* ardusa (*Adatoda vasica),* lisoda (*Cordia myxa),* kadaya (*Sterculia urens),* etc.;

AND WHEREAS, Mukundara Hills Tiger Reserve was once a very good habitat of India’s national animal and flagship species tiger. The Tiger Reserve renders protection to rare and endangered fauna such as sloth bear (*Melarsus ursinus),* sambhar (*Cervus unicolor),* ratel (*Malivora capensis),* common langur (*Presbytis entellus),* wild boar (*Sus scrofa),* panther (*Panthera pardus),* blue bull (*Boselaphus tragocamelus),* jackal (*Canis aureus),* striped hyanea (*Hyaena hyaena),* spotted deer (*Axis axis),* Indian porcupine (*Hystrix indica),* monitor lizard (*Varanus bengalensis),* python (*Python molursus),* rat snake(*Ptyas mucosus),* Russel’s viper (*Viper russelli),* Indian cobra (*Naja naja),* etc;

AND WHEREAS, major avifauna recorded from the Protected Areas are little grebe (*Techybaptus ruficollis),* great cormorant (*Phalacrocarax carbo),* comman kingfisher (*Alcedo athis),* red wattled lapwing (*Vanellus indicus),* rock pigeon (*Columba livia),* rose ringed parakeet (*Psittacula eupatria),* plum headed parakeet (*Psittacula cynoceplala),* rufous treepie (*Dendrocitta vagabunda),* oriental magpie robin (*Copsychus saularis),* common babblar (*Turdoides caudatus),* little egret (*Egretta garzetta),* etc.

AND WHEREAS, important rare, endangered and threatened species available in the Protected Areas are *Amorphallus paeonifolius, Anogeissus sericia, Bauhinia vahlii, Tribulus rajasthanensis, Anogeissus latifolia, Commiphora wightii, Acacia catechu, Acacia leucophloea, wolf, fox and python;*

AND WHEREAS, the Protected Area also has some important archeological sites such as Gargon Fort which is a UNESCO world heritage site, Abli Meenika Mahal, Raontha Mahal, Badoli group of temples etc. Some of important religious pilgrimage sites are Garadia Mahadev, Gapernath, Ambarani Mataji, Nahar Singh Mataji etc. Beautiful Chambal gorges and unique landscape also formed the part of the Tiger Reserve. MHTR serves as catchment of rivers like Kalisindh, Ahu, Amjhar, Eru, Brahmini, and Chambal. Water bodies such as Laximpura talai, Bewada Talai, Kadap Kakhal and Chambal River attract lot of migratory birds. Hence, MHTR provides an ideal attraction to tourists. It is also a good opportunity for promotion of ecotourism which will enhance with reintroduction of tigers in the reserve;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mukundara Hills Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.0 kilometre around the boundary of Mukundara Hills Tiger Reserve in Kota, Jhalawar, Bundi, Chittorgarh Districts in the State of Rajasthan as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1.0 kilometre around the boundary of Mukundara Hills Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is 248.70 square kilometres. The State Government has justified that the zero extent of Eco-sensitive Zone is *due to co-termination of Eco-sensitive Zone with buffer area of Mukandra Hills Tiger Reserve*. The extents of Eco-sensitive Zone at various directions are given as:-

Direction	**Extents (in kilometre)**
North	1.00
North- East	0 to 1.00
East	0
South-East	0 to 1.00
South	0 to 1.00
South-West	0
West	1.00
North-West	1.00

(2) The boundary description of Mukundara Hills Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Mukundara Hills Tiger Reserve demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Mukundara Hills Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. **(1)**	**Activity** **(2)**	**Description** **(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless

		otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State

		Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Noise pollution.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village	Shall be actively promoted.

	artisans, etc.	
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	District Collector, Kota	Chairman, ex officio;
(ii)	Sub Divisional Officer Kota	Member;
(iii)	Sub Divisional Officer Ramganjmandi	Member;
(iv)	Sub Divisional Officer Jhalawar	Member;
(v)	Sub Divisional Officer Bundi	Member;
(vi)	Sub Divisional Officer Rawatbhata	Member;
(vii)	Honorary Wild Life Warden, Kota	Member;
(viii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(ix)	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government	Member;
(x)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(xi)	Pradhan Panchayat Samiti Ladpura ,Bhaisororgarh, Jhalarapatan, Talera, Kherabad (for respective area)	Member;
(xii)	Deputy Conservator of Forests, Mukandra Hills Tiger Reserve	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/01/2020-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF MUKUNDARA HILLS TIGER RESERVE AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE RAJASTHAN

North	• Northern outer boundary of forest block Bard kalaji kishor sagar block boundary, up to Kanwas Range office then Dara kanwas road up to Kanwas tri junction. • From Kanwas tri junction in a width of 1 kilometre along the boundary of the core of the Tiger Reserve to compartment number 57 of Doliya forest block. • From the outer boundary of compartment number 57 of Doliya block to outer boundary of compartment number 58, 59, 51, 37 , 35, 33, 32, 31, 43, 48 & 46 which the buffer boundary of the Tiger Reserve including compartment number 31 to 35, 37 to 43, 46 to 51, 57 to 60 and 69. • In one Kilometer width from the outer boundary of compartment number 46 to village Chand baori which is core area of the Tiger Reserve • Along the outer boundary of 34, 30, 29, 28, 16, 15, 13, 12, 17, 18, 21 including compartment number 7, 12-22, 24-31 of Futa forest block which is the buffer area of the Tiger Reserve. • From the outer boundary of compartment number 21 of Futa forest block to outer boundary of compartment number 10, 15, 12, 11, 8, 7, 1 of forest block Radi Dand including compartment number 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16-22 which is the buffer area of the Tiger Reserve to village Borabas from the habitation of village Borabas to compartment number 1 of forest block Chand baori to forest block Borabas in a width of 100 meter which is the core area of the Tiger Reserve. • Along the outer boundary of forest block Loh Dungari which is the buffer area of the Tiger Reserve to along kota road to Gapernath Nallah which from the boundary of core and buffer area of the Tiger Reserve. • In a width of 1 kilometre from Gapernath Nallah to in front of Gardiya Mahadev which is the core area of the Tiger Reserve. • In a width of 1 kilometre from opposite bank of Chambal at Gardiya Mahadev which is also the boundary of National Chambal Ghadiyal Sanctuary to forest block Ambarani and Gudha Rajpura which is the boundary of Tiger Reserve to Bhunjar (Nausera) Ghata.
East	• In one Kilometer width from the junction point of Ahu and Kalisindh along the Kalisindh river to along the outer boundary of compartment number 57 & 56 of forest block Mashalpura-B which falls in the core area the Tiger Reserve.

	• Including Revenue area of village Rajpura, outer boundary of river Kalisindh and outer boundary of compartment number 41, 40, 39, 31, 30, 29, 12, 11, 10, 9, 8, 4, 2, 1 which is also the outer boundary of forest block Mashalpura-B and of the buffer area of the Tiger Reserve to outer boundary of compartment number 1 of Mashalpura-A
South	• From the river Brahmni which forms the boundary of Jawahar Sagar Sanctuary and the Tiger Reserve to junction of river Chambal to Rana Pratap Sagar Dam in a width of 0 kilometre due to Bhainsroadgarh Sanctuary on the other side. • From Rana Pratap Sagar Dam along with the road running parallel to Canal to Rawatbhata barrier chouraha to road leading to Borabas till village Badoli in a width of 0 kilometre which is the boundary of Jawahr Sagar Sancuary. • In a width of 1 kilometre from village Badoli along right side of road to Borabas to boundary of forest block Kaniya Talab. • In a width of 1 kilometre along core area including compartment no. 1 & 2 of Kaniya Talab. • From the outer boundary of compartment number 5, 18, 17, 16, 15, 13, 10, 9 & 8 of Kaniya Talab which forms the buffer are of the MHTR. • In a width of 1 kilometre along boundary of forest block Kala Kot to outer boundary of Burjwali chowki forest block which is boundary of core area of Tiger Reserve and also district boundary between Kota & Chittorgarh. • In a width of 1 kilometre from the outer boundary of Burjwali chowki forest block to Ghatoli forest block, Manoharpura forest block to forest block Amjhar-A. • In a width of 1 kilometre from the outer boundary of Amjhar-B including Amjhar river to Kota-Jhalawar road. • In a width of 1 kilometre along the outer boundary of Kheemach-B and outer boundary of Mashalpura-B which is core area of Tiger Reserve and boundary of Darrah Sanctuary up to river Ahu to junction of river Ahu and Kalisindh.
West	• In a width of 1 kilometre from Bhunjar (Nausera) Ghata to Bhunjar Khurd village Lotiyana which is the boundary of Tiger Reserve. • In a width of 0 kilometre from village Lotiyana to Brahmni river which is the buffer area of the Tiger Reserve.

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF MUKUNDARA HILLS TIGER RESERVE AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

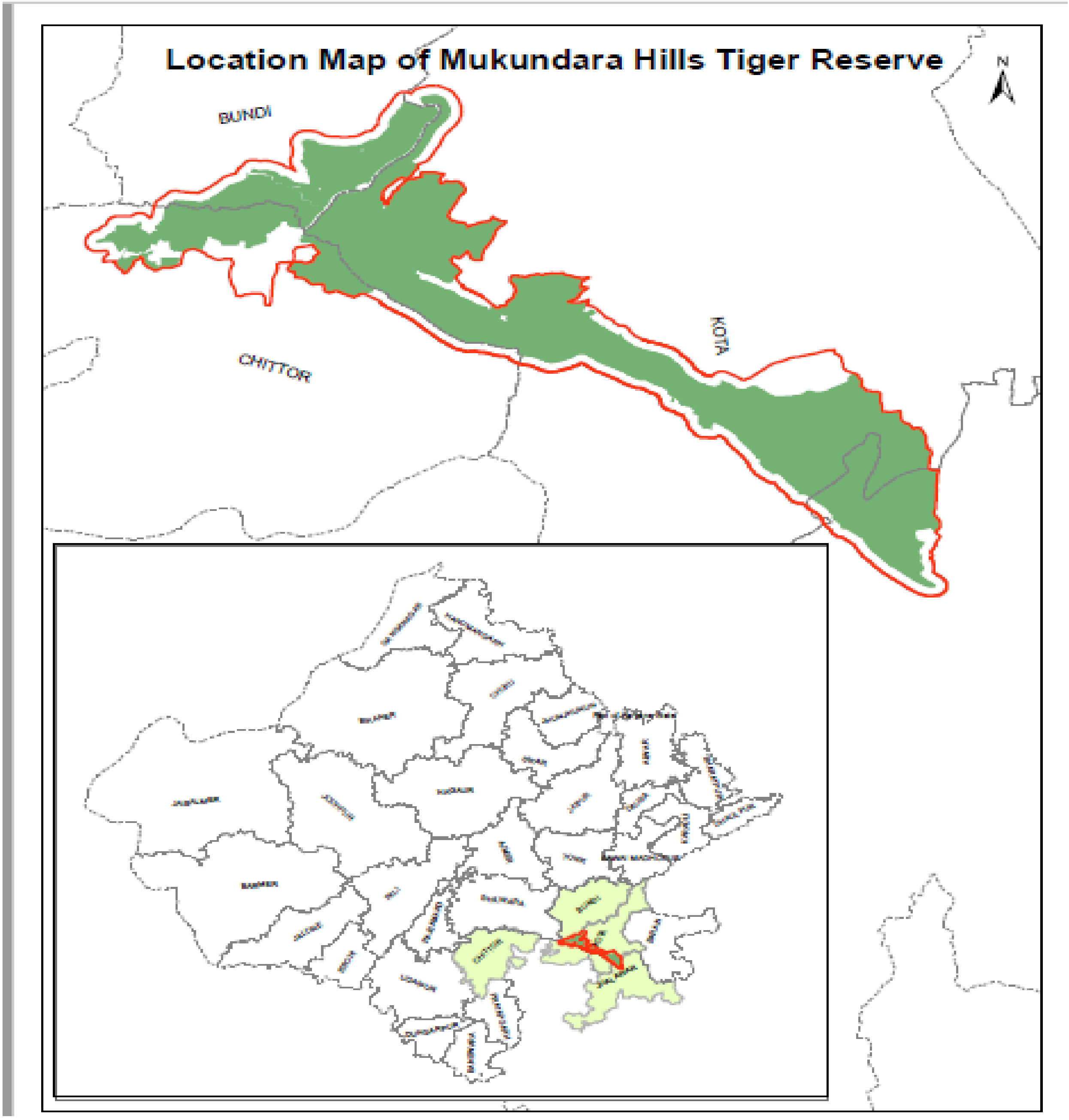

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MUKUNDARA HILLS TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

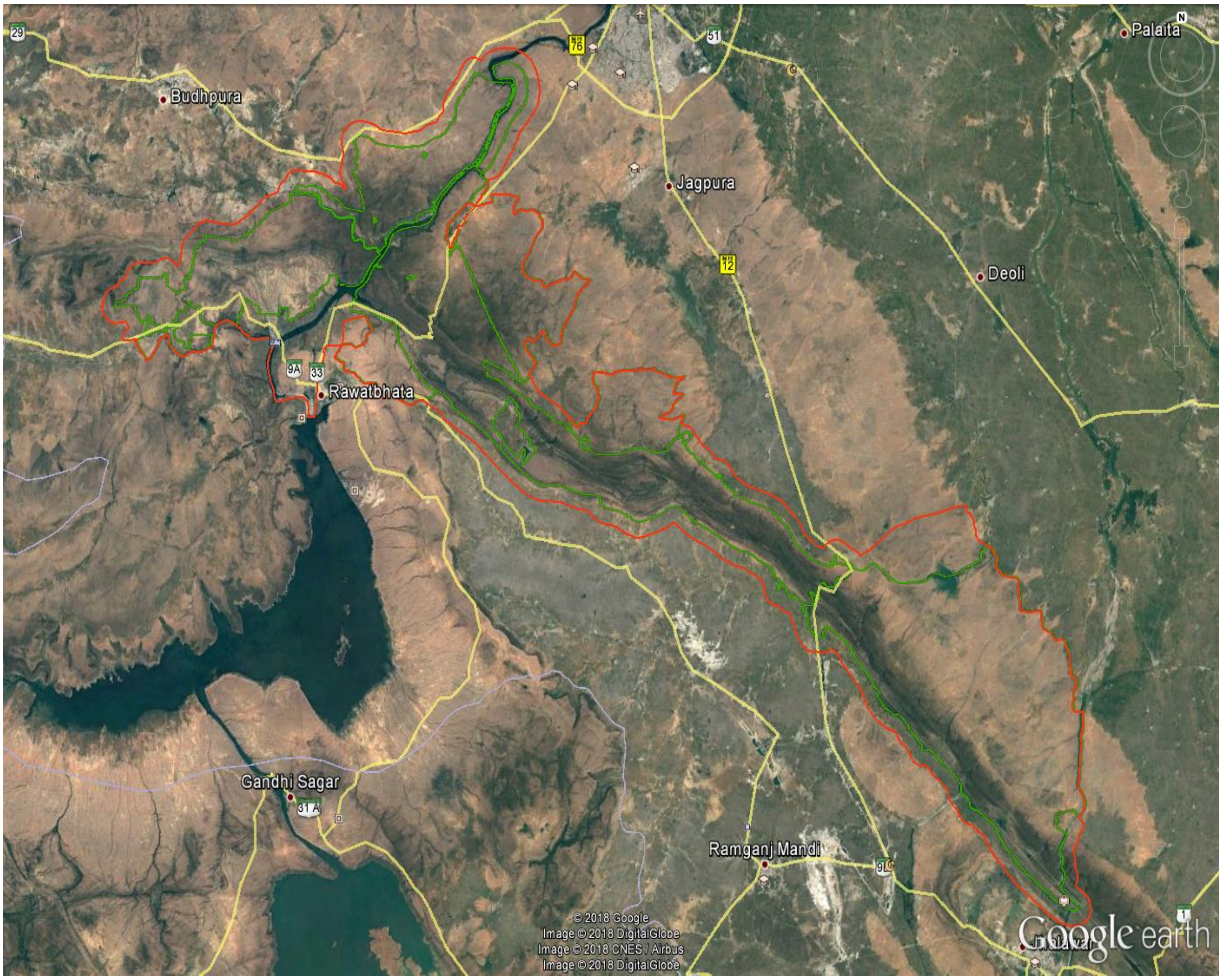

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MUKUNDARA HILLS TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

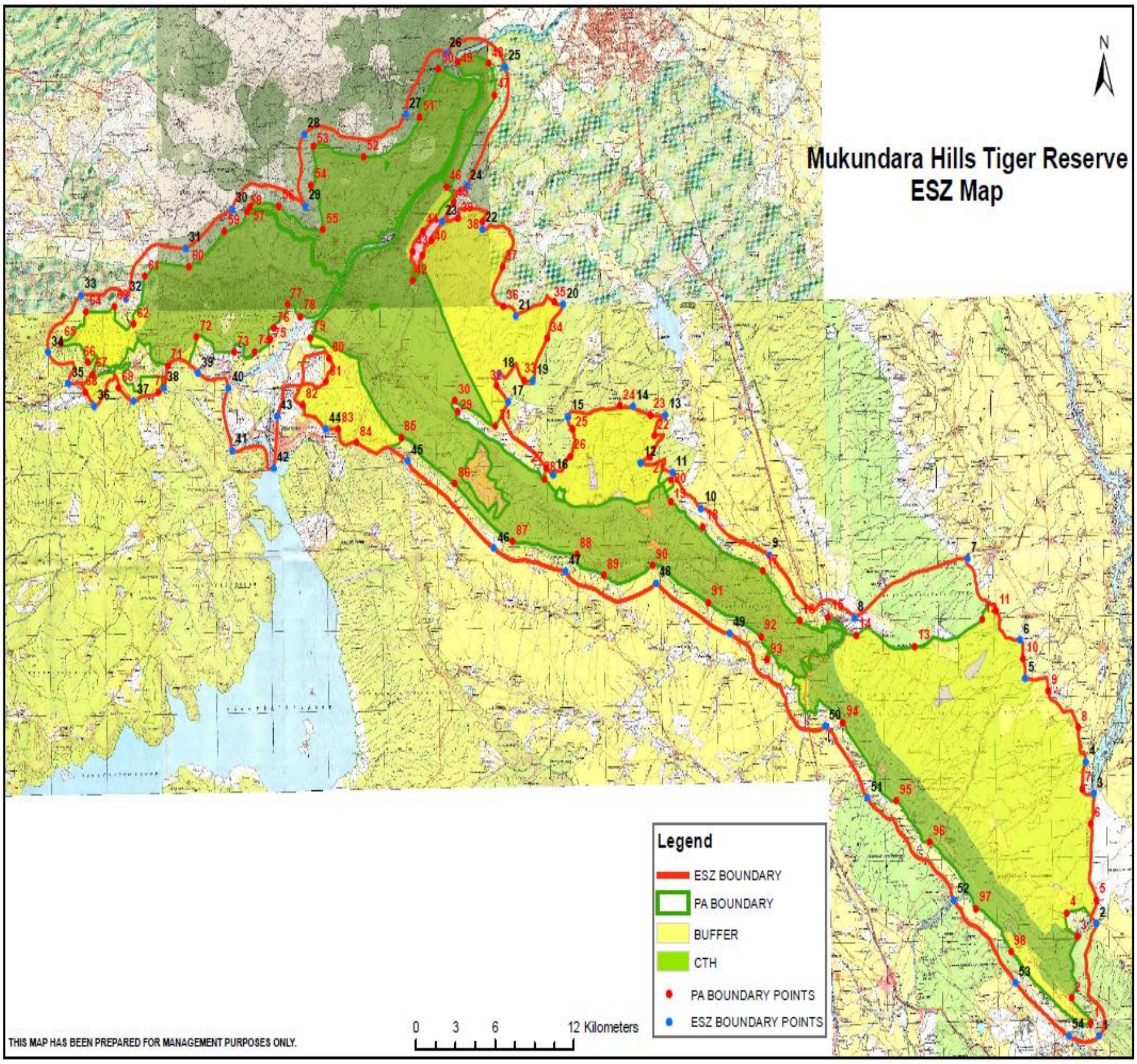

ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MUKUNDARA HILLS TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

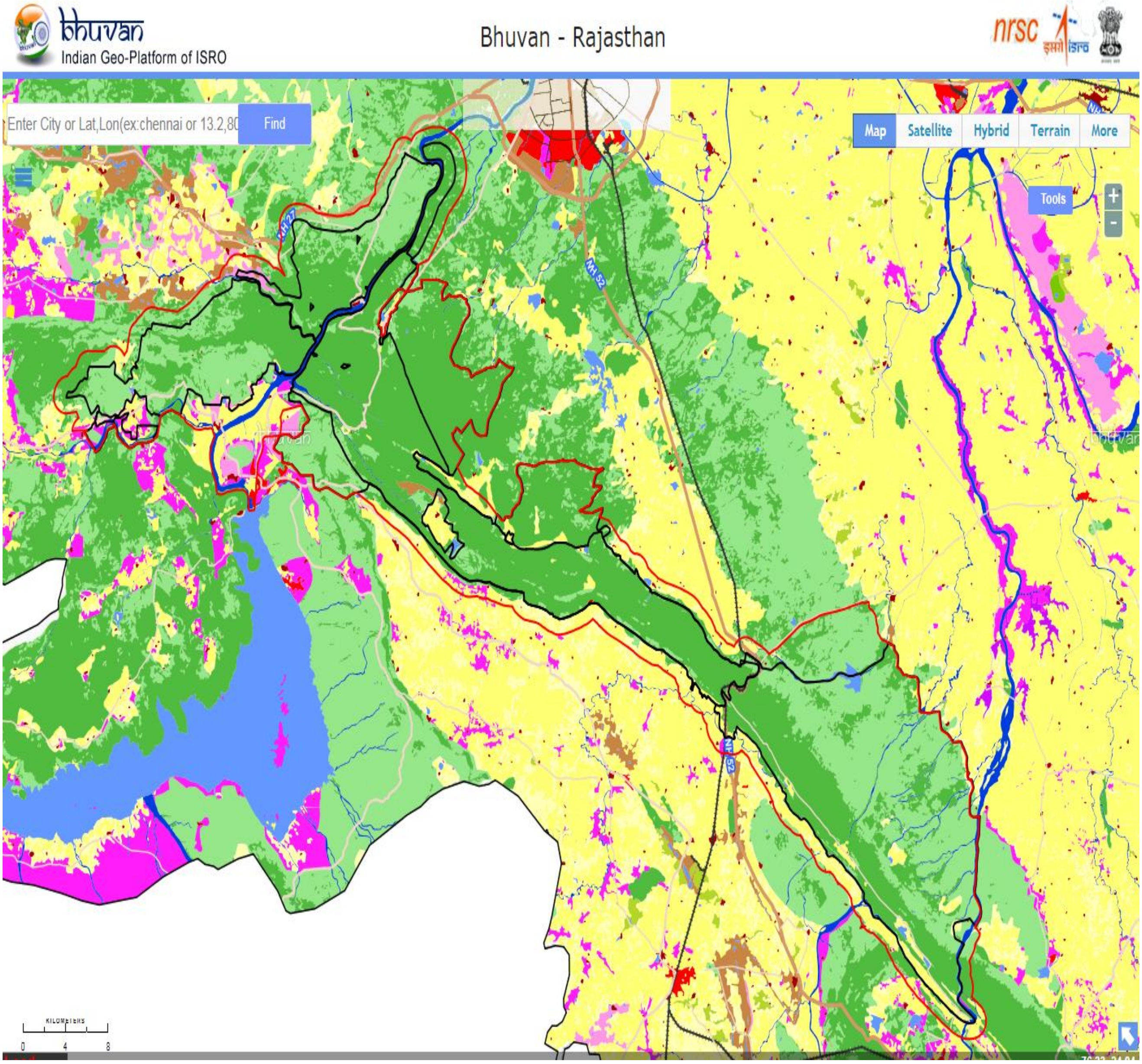

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF MUKUNDARA HILLS TIGER RESERVE

S No	Longitude	Latitude
1	76° 11' 37.718" E	24° 37' 18.675" N
2	76° 10' 48.130" E	24° 38' 6.693" N
3	76° 11' 6.840" E	24° 40' 1.207" N
4	76° 10' 38.654" E	24° 40' 45.409" N
5	76° 11' 59.415" E	24° 41' 8.138" N
6	76° 11' 24.910" E	24° 44' 36.852" N
7	76° 11' 16.531" E	24° 46' 31.173" N
8	76° 9' 56.269" E	24° 47' 40.672" N
9	76° 8' 48.810" E	24° 48' 41.862" N
10	76° 7' 36.582" E	24° 50' 11.935" N
11	76° 3' 55.880" E	24° 49' 7.996" N
12	76° 1' 18.457" E	24° 49' 31.623" N
13	76° 0' 3.661" E	24° 50' 6.811" N
14	75° 58' 45.818" E	24° 50' 0.522" N
15	75° 57' 8.765" E	24° 51' 35.793" N
16	75° 54' 27.515" E	24° 53' 0.135" N
17	75° 53' 2.681" E	24° 54' 28.508" N
18	75° 51' 37.832" E	24° 55' 1.756" N
19	75° 52' 8.867" E	24° 56' 30.493" N
20	75° 50' 46.653" E	24° 56' 48.879" N
21	75° 48' 37.382" E	24° 56' 6.930" N
22	75° 47' 25.120" E	24° 54' 55.294" N
23	75° 43' 20.732" E	24° 57' 4.690" N
24	75° 45' 9.797" E	24° 56' 15.252" N
25	75° 45' 14.180" E	24° 57' 29.641" N
26	75° 46' 27.796" E	24° 57' 40.249" N
27	75° 47' 32.188" E	24° 58' 57.297" N
28	75° 47' 52.983" E	25° 0' 3.860" N
29	75° 45' 33.960" E	24° 59' 58.322" N
30	75° 45' 33.156" E	25° 1' 12.335" N
31	75° 44' 39.008" E	25° 2' 37.603" N
32	75° 43' 34.537" E	25° 2' 44.847" N
33	75° 41' 28.391" E	25° 0' 49.698" N
34	75° 43' 3.517" E	25° 3' 43.699" N
35	75° 45' 16.620" E	25° 6' 33.483" N
36	75° 45' 1.518" E	25° 7' 32.469" N

S No	Longitude	Latitude
37	75° 43' 38.339" E	25° 7' 36.182" N
38	75° 42' 45.296" E	25° 7' 23.600" N
39	75° 39' 20.003" E	25° 4' 42.008" N
40	75° 37' 4.800" E	25° 5' 3.195" N
41	75° 36' 57.627" E	25° 3' 50.016" N
42	75° 37' 27.735" E	25° 2' 27.435" N
43	75° 35' 29.519" E	25° 3' 12.451" N
44	75° 34' 10.757" E	25° 3' 12.129" N
45	75° 34' 1.844" E	25° 3' 4.471" N
46	75° 33' 1.402" E	25° 2' 25.882" N
47	75° 31' 23.170" E	25° 1' 21.947" N
48	75° 29' 23.885" E	25° 1' 6.004" N
49	75° 28' 52.934" E	24° 59' 36.620" N
50	75° 28' 0.745" E	25° 0' 10.518" N
51	75° 26' 44.065" E	25° 0' 1.666" N
52	75° 25' 34.897" E	24° 59' 2.516" N
53	75° 26' 46.899" E	24° 58' 27.137" N
54	75° 26' 40.084" E	24° 57' 31.488" N
55	75° 28' 10.120" E	24° 57' 38.561" N
56	75° 29' 57.637" E	24° 57' 28.285" N
57	75° 30' 23.451" E	24° 58' 19.167" N
58	75° 31' 42.952" E	24° 59' 10.774" N
59	75° 33' 23.894" E	24° 58' 42.214" N
60	75° 35' 3.571" E	24° 59' 4.324" N
61	75° 35' 49.811" E	25° 0' 8.637" N
62	75° 36' 24.492" E	24° 59' 45.966" N
63	75° 36' 50.523" E	24° 59' 5.829" N
64	75° 37' 41.312" E	24° 58' 27.538" N
65	75° 37' 32.543" E	24° 57' 43.563" N
66	75° 36' 28.643" E	24° 57' 1.772" N
67	75° 38' 52.959" E	24° 55' 49.334" N
68	75° 40' 54.251" E	24° 55' 57.052" N
69	75° 43' 17.878" E	24° 54' 29.210" N
70	75° 45' 52.466" E	24° 52' 39.148" N
71	75° 48' 45.627" E	24° 52' 12.211" N
72	75° 52' 11.405" E	24° 51' 49.830" N
73	75° 54' 40.542" E	24° 50' 38.425" N
74	75° 57' 17.783" E	24° 48' 50.037" N
75	76° 0' 40.650" E	24° 46' 49.423" N

S No	Longitude	Latitude
76	76° 3' 1.763" E	24° 44' 22.018" N
77	76° 5' 59.694" E	24° 41' 50.939" N
78	76° 8' 6.738" E	24° 39' 35.260" N

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

S. No	Longitude	Latitude
1	76° 12' 1.303" E	24° 36' 54.185" N
2	76° 11' 57.562" E	24° 40' 24.116" N
3	76° 11' 55.730" E	24° 44' 27.268" N
4	76° 11' 36.179" E	24° 45' 26.774" N
5	76° 8' 53.407" E	24° 48' 4.796" N
6	76° 8' 41.905" E	24° 49' 16.365" N
7	76° 6' 22.375" E	24° 51' 51.167" N
8	76° 1' 14.503" E	24° 50' 4.806" N
9	75° 57' 25.742" E	24° 52' 4.366" N
10	75° 54' 23.647" E	24° 53' 33.696" N
11	75° 53' 7.772" E	24° 54' 41.751" N
12	75° 51' 41.381" E	24° 55' 1.029" N
13	75° 52' 49.628" E	24° 56' 29.831" N
14	75° 51' 21.941" E	24° 56' 47.661" N
15	75° 48' 26.305" E	24° 56' 29.902" N
16	75° 47' 43.878" E	24° 54' 42.135" N
17	75° 45' 44.613" E	24° 56' 59.627" N
18	75° 45' 21.221" E	24° 57' 53.618" N
19	75° 46' 52.531" E	24° 57' 39.139" N
20	75° 48' 16.253" E	24° 59' 59.688" N
21	75° 46' 7.502" E	24° 59' 40.052" N
22	75° 44' 39.171" E	25° 2' 22.405" N
23	75° 42' 50.526" E	25° 2' 38.502" N
24	75° 43' 58.427" E	25° 3' 43.748" N
25	75° 45' 45.717" E	25° 7' 25.582" N
26	75° 43' 6.934" E	25° 7' 51.656" N
27	75° 41' 15.819" E	25° 6' 0.346" N
28	75° 36' 39.889" E	25° 5' 26.475" N
29	75° 36' 40.850" E	25° 3' 11.878" N
30	75° 33' 23.020" E	25° 3' 7.359" N
31	75° 31' 14.552" E	25° 1' 55.908" N
32	75° 28' 32.597" E	25° 0' 25.224" N
33	75° 26' 30.799" E	25° 0' 31.842" N

S. No	Longitude	Latitude
34	75° 25' 0.503" E	24° 58' 46.295" N
35	75° 25' 54.273" E	24° 57' 48.256" N
36	75° 27' 4.289" E	24° 57' 4.212" N
37	75° 28' 51.017" E	24° 57' 13.463" N
38	75° 30' 12.968" E	24° 57' 36.138" N
39	75° 31' 45.763" E	24° 58' 3.663" N
40	75° 33' 7.151" E	24° 57' 34.190" N
41	75° 33' 16.132" E	24° 55' 37.935" N
42	75° 35' 8.395" E	24° 55' 3.621" N
43	75° 35' 18.458" E	24° 56' 40.162" N
44	75° 37' 29.974" E	24° 56' 15.385" N
45	75° 41' 10.781" E	24° 55' 12.856" N
46	75° 45' 1.831" E	24° 52' 27.473" N
47	75° 48' 14.830" E	24° 51' 42.187" N
48	75° 52' 18.898" E	24° 51' 17.312" N
49	75° 55' 37.001" E	24° 49' 40.602" N
50	75° 59' 52.919" E	24° 46' 43.804" N
51	76° 1' 43.965" E	24° 44' 28.484" N
52	76° 5' 33.607" E	24° 41' 13.646" N
53	76° 8' 17.748" E	24° 38' 36.674" N
54	76° 10' 39.892" E	24° 36' 55.819" N

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF MUKUNDARA HILLS TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sr. No	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1.	Rathkakra	Revenue	Ladpura	Kota	N25°3'11.80"	E 75°43'47.22"
2.	Jamuniya Bawri	Revenue	Ladpura	Kota	N25°3'54.42"	E 75°43'39.73"
3.	Borabas	Revenue	Ladpura	Kota	N25°1'14.49"	E 75°41'40.96"
4.	Akhawaagricultral Land	Revenue	Ladpura	Kota	N25°0'6.51"	E 75°44'54.02"
5.	Chandbawri	Revenue	Ladpura	Kota	N24°56'6.35"	E 75°44'52.66"
6.	Kolipura	Revenue	Ladpura	Kota	N24°57'46.11"	E 75°40'0.65"
7.	Girdharpura	Revenue	Ladpura	Kota	N24°54'46.90"	E 75°44'29.27"
8.	Damodarpura	Revenue	Ladpura	Kota	N24°52'30.05"	E 75°52'12.25"
9.	Kishanpura	Revenue	Ladpura	Kota	N24°53'9.70"	E 75°46'59.71"
10.	Nayagav/Jaspura	Revenue	Ladpura	Kota	N24°54'10.33"	E 75°48'10.68"
11.	Kesavpura	Revenue	Ladpura	Kota	N24°53'47.50"	E 75°49'3972"

Sr. No	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
12.	Mandargarh	Revenue	Ladpura	Kota	N24°53'34.42"	E 75°51'38.52"
13.	Mohanpura	Revenue	Ladpura	Kota	N24°53'44.66"	E 75°53'37.56"
14.	Ravtha	Revenue	Ladpura	Kota	N24°52'26.18"	E 75°53'23.54"
15.	Haripura	Revenue	Ladpura	Kota	N24°52'23.25"	E 75°55'50.65"
16.	KawarpuraAgricultral Land	Revenue	Sangod	Kota	N24°52'29.79"	E 75°56'28.72"
17.	Bhawriya Dadpura Agricultural Land	Revenue	Sangod	Kota	N24°52'24.27"	E 75°56'55.23"
18.	Kothla	Revenue	Sangod	Kota	N24°50'39.42"	E 75°58'26.02"
19.	Padampura	Revenue	Kanwas	Kota	N24°50'20.63"	E 75°58'49.70"
20.	Dara Station	Revenue	Kanwas	Kota	N24°49'58.90"	E 76°0'30.00"
21.	Morukalan	Revenue	Kanwas	Kota	N24°49'30.46"	E 76°1'8.62"
22.	Amjhar	Revenue	Kanwas	Kota	N24°47'57.56"	E 75°58'38.37"
23.	Pipalda	Revenue	Kanwas	Kota	N24°46'54.04"	E 75°58'35.57"
24.	MinyaKhedi	Revenue	Kanwas	Kota	N24°48'13.06"	E 75°57'0.35"
25.	Bhatwara	Revenue	Kanwas	Kota	N24°47'53.79"	E 75°57'44.05"
26.	Bhatwarakidhani	Revenue	Kanwas	Kota	N24°48'9.35"	E 75°57'34.86"
27.	Jhamra	Revenue	Kanwas	Kota	N24°49'21.96"	E 75°56'46.22"
28	Nayagav	Revenue	Kanwas	Kota	N24°49'24.08"	E 75°56'6.13"
29	Manoharpura	Revenue	Kanwas	Kota	N24°50'2.51"	E 75°55'48.71"
30	Bakshpura	Revenue	Sangod	Kota	N24°50'57.24"	E 75°53'30.31"
31	Ghatoli	Revenue	Sangod	Kota	N24°51'47.22"	E 75°52'10.86"
32	Balkho	Revenue	Sangod	Kota	N24°51'26.15"	E 75°50'4.67"
33	Rail gerabad	Revenue	Ladpura	Kota	N24°56'40.73"	E 75°50'3.37"
34	Kailashnagri	Revenue	Ladpura	Kota	N24°44'41.73"	E 76°07'30.22"
35	DhawadKhurd	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°51'39.77"	E 75°48'43.18"
36	Kothra	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°52'13.19"	E 75°45'24.44"
37	Karanpura	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°51'54.96"	E 75°45'21.20"
38	Dhardi	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°52'19.80"	E 75°47'1.16"
39	BamboriKhurd	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°52'27.34"	E 75°45'8.60"
40	Bhagwatpura	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°53'21.02"	E 75°43'57.71"
41	NaiTalai	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°53'48.84"	E 75°43'29.52"
42	Malpura	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°53'32.25"	E 75°44'4.47"
43	Dhaneshwer	Revenue	Dabi	Bundi	N25°3' 56.98"	E 75°35'11.83"
44	Khera	Revenue	Dabi	Bundi	N25°3' 53.04"	E 75°34'36.60"
45	Gudha	Revenue	Dabi	Bundi	N25°3' 3.34"	E 75°33'8.19"
46	Bhunjarkhurd	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N25°0' 2.35"	E 75°28'34.35"
47	Bhunjar Kalan	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N25°0' 51.30"	E 75°28'31.83"

Sr. No	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
48	Lotiyana	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°57' 36.20"	E 75°26'24.68"
49	Rawatbhata	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°56'6.39"	E 75°35'18.57"
50	Badoliya	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°57' 55.75"	E 75°34'59.09"
51	Nagni	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°57'26.41"	E 75°36'10.99"
52	JawaraKhurd	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°58' 14.63"	E 75°36'47.53"
53	Golbav	Revenue	Jhalarapatan	Jhalawar	N24°49' 54.33"	E 76°8'2.41"
54	Fazalpur Agricultural Land	Revenue	Jhalarapatan	Jhalawar	N24°37'23.75"	E 76°10'16.34"
55	Berkheri Agricultural Land	Revenue	Jhalarapatan	Jhalawar	N24°36' 27.68"	E 76°12'49.12"
56	Naza Agricultural Land	Revenue	Jhalarapatan	Jhalawar	N24°38' 32.70"	E 76°8'50.34"
57	Dhanwas Agricultural Land	Revenue	Jhalarapatan	Jhalawar	N24°39' 46.9"	E 76°7'29.27"
58	Khokhanda Agricultural	Revenue	Jhalarapatan	Jhalawar	N24°40' 34.99"	E 76°6'3.39"
59	Rajpura Agricultural Land	Revenue	Jhalarapatan	Jhalawar	N24°40' 49.72"	E 76°11'23.14"
60	Badodiya Agricultural Land	Revenue	Rawatbhata	Chittorgarh	N24°41' 19.97"	E 76°5'12.44"
61	Jhalra Agricultural Land	Revenue	Ladpura	Kota	N24°42'2.71"	E 76°4'47.43"
62	Jhiri Agricultural Land	Revenue	Ladpura	Kota	N24°42'35.73"	E 76°4'7.65"
63	Jamuniya Agricultural Land	Revenue	Ladpura	Kota	N24°43'12.92"	E 76°3'28.50"
64	KharliBawari Agricultural Land	Revenue	Ladpura	Kota	N24°43'47.67"	E 76°2'54.47"
65	Nayagav Agricultural Land	Revenue	Ramjangmandi	Kota	N24°44'24.61"	E 76°1'56.12"
66	ManpuraAgricultural Land	Revenue	Ramjangmandi	Kota	N24°45'31.3"	E 76°1'10.69"
67	Dhani Agricultural Land	Revenue	Ramjangmandi	Kota	N24°44'54.37"	E 76°1'23.70"
68	KukadaKhurd Agricultural Land	Revenue	Ramjangmandi	Kota	N24°46'38.63"	E 75°59'49.93"
69	Kamalpura Agricultural Land	Revenue	Ramjangmandi	Kota	N24°46'57.68"	E 75°59'7.17"
70	Minyakhedi Agricultural Land	Revenue	Ramjangmandi	Kota	N24°48'13.06"	E 75°57'0.35"
71	Pipalda Agricultural Land	Revenue	Ramjangmandi	Kota	N24°46'54.04"	E 75°58'35.57"
72	Amjhar Agricultural	Revenue	Ramjangmandi	Kota	N24°47'57.56"	E 75°58'38.37"

Sr. No	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
	Land					
73	Kaliya Kui	Revenue	Sangod	Kota	N24°49'32.41"	E 76°02'24.33"
74	Morukalan	Revenue	Sangod	Kota	N24°49'41.51"	E 76°01'01.17"
75	Morukhurd	Revenue	Sangod	Kota	N24°50'12.39"	E 76°01'23.64"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.28 15:01:51 +05'30'